

1.8 पञ्जाबली न्याय आपके द्वारा-२०१७ में न्याय
द्वारा में पेश हुई। पञ्जाब न्याय उपा
द्वारा पञ्जाब न्याय को सुना गया।
पञ्जाब न्याय न्याय के निस्तारण
के अन्तर्गत स्वरूप में कोई परिवर्तन
नहीं करने एवं कोई नया निर्माण नहीं

दिनांक आज्ञा या
कार्यवाही

करने हेतु सहमत उत्तर: लोक अदालत की
 भावना से सहमति के आधार पर एक
 ओर के निस्कारण तक उभय पक्ष को
 परस्पर शक्ति के स्वरूप में कोई परिवर्तन
 नहीं करने एवं कोई नया निर्माण नहीं
 करने हेतु वाचक विभा गमा। फावली
 फैसल शुभ रोक र्ज न्द से न्द
 हो। आदेश न्द में साम में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिवक्ता
 साँभर लेख

आज्ञा या
कार्यवाही